

--::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::--
-x-

सेवा सन्तोषजनक प्रमाण-पत्र

प्रास्य-06 परिशिष्ट "अ"

स्व. अंजू संत तत्कालिन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक-
विभाग, नौगल जैता बोहरा, जयपुर जिनकी जन्मतिथि 26.03.69 है
जिनका दिनांक 24.07.2016 को स्वर्गवास हो गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उमर नामित स्व. अंजू संत
तत्कालिन प्रधानाचार्य, राउमावि, नौगल जैता बोहरा, जयपुर के विरुद्ध
आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-1958
के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/
लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-19
के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित
नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Mishra

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक: शिक्षा/माध्य/संस्था/ए-3/अंजूसंत/16/09 दिनांक: 27.9.16

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उपा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि, नौगल जैता बोहरा, जयपुर
5. स्व. अंजू संत, तत्कालिन प्रधानाचार्य, राउमावि, नौगल जैता बोहरा,
जयपुर
6. प्रभारी बी-2/रक्षित पत्रावली

Mishra

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

प्रारूप-6 परिशिष्ट "अ"

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

- 1- श्री ओम प्रकाश खाती, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजूसर (चूरु) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 14.09.58 है, और जो दिनांक-03.08.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं ।
- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री ओम प्रकाश खाती प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजूसर (चूरु) के विरुद्ध आज तक:-
 - 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
 - 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
 - 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर ।

दिनांक-29-9-16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/ओमप्रकाश खाती/स्वै.से./16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर ।
- 2- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर ।
- 3- उपनिदेशक (माध्यमिक) चूरु ।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) चूरु ।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजूसर (चूरु)
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- श्री ओम प्रकाश खाती प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजूसर (चूरु)।
- 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय -आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता (इतिहास) के इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार संशोधन किया जाते है।

क्र०सं०	नाम कार्मिक पद स्थापन स्थान	मूल आदेश के क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1.	जफर अहमद	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016 दिनांक 27.09.2016	अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.07.2016 के स्थान पर 31.12.2016 संशोधित की जाती है

शेष शर्तें मूल आदेशनुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016

दिनांक 29/9/2016

प्रतिलि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संबधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबधित प्रधानाचार्य
4. संबधित कार्मिक
5. रक्षित पत्रावली
6. कम्प्यूटर अनुभाग


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर